

प्रश्न सं. [क. 3258]

परिशिष्ट अ

विधानसभा सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3258

पावती (रसीद)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु गठित जांच आयोग के प्रतिवेदन पर मंत्रि-परिषद् समिति का परीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 06-07-2013 (पृष्ठ क्रमांक- 1 से 19) तथा संलग्न परिशिष्ट-“एक” पृष्ठ क्र. 20, परिशिष्ट-“दो” पृष्ठ क्र. 21 (पूर्ण जांच प्रतिवेदन पृथक से पृष्ठ क्र. 1 से 1223 तक चार भागों में), परिशिष्ट-“तीन” पृष्ठ क्र. 22 एवं 23, परिशिष्ट-“चार” पृष्ठ क्र. 24 से 26, परिशिष्ट-“पांच” पृष्ठ क्र. 27 एवं 28, परिशिष्ट-“छः” पृष्ठ क्र. 29 से 35, परिशिष्ट-“सात” पृष्ठ क्र. 36 से 44, परिशिष्ट-“आठ” पृष्ठ क्र. 45 से 48, परिशिष्ट-“नौ” पृष्ठ क्र. 49 से 53 तक प्राप्त किये।

13/07/2013

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

लक्ष्मी सिंघ

नाम एवं पदनाम

सहायक - III

सील

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (ब्लक 10)

पंजी क्र. _____

दिनांक _____

सहायक सचिव (सा.सहा.)

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
बीपाल (म.प्र.)

गोपनीय

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन 462 004

क्रमांक / पेंशन / 2013 / ⁶¹⁶⁰ ~~ए.एस. / ए.एस. / ए.एस.~~ / ~~ए.एस. / ए.एस. / ए.एस.~~ / ~~ए.एस. / ए.एस. / ए.एस.~~ भोपाल, दिनांक 26/9/2013

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल

विषय:- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अनियमितता
जॉच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र / 24-7 / 2013 / 1-10 भोपाल दिनांक 27 / 07 / 2013।

-----0-----

कृपया उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र द्वारा चाहे अनुसार सामाजिक न्याय
विभाग द्वारा मंत्रि-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु मंत्रि-परिषद् संक्षेपिका सचिव
(समन्वय) को क्र एफ-2-6 / 2013 / 26-2 दिनांक 08 / 08 / 2013 द्वारा भेजी जा
चुकी है।

कृपया सामाजिक न्याय विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत होना
चाहेंगे।

20/9/13

सहा. सचिव (सा.सहा.)
सामाजिक न्याय एवं विधवा-पension विभाग
भोपाल (म.प्र.)

o/c

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग